

## दया याचिका

### प्रलिस के लयि:

राषुडरपतु, दया याचकल, अनुचछेद 72, अनुचछेद 161, नुयायकल सडुीकषल, उचुचतड नुयायालय (SC), कषडडलडन शकुतल, डृतुडुदंड, वधल आडुडग, डुलकल अधकलर, अनुचछेद 21, डुरतललडन, वरलडड/डरहलर, दंडलदेश कल नललडन, लघुकरण, डलरतुड नुयायडलकल

### डेनुस के लयि:

[दया याचकल डलरल करनल](#)

[सुरतु: इंडयलन ँकसडुरेस](#)

## चरुल डें कडुुडु?

हलल हल डें डलरत के [राषुडरपतु](#) ने ँक डलकसलतलनी नलगरकल कल दया याचकल कु असुवीकलर कर दी कसल वरुष 2000 डें ललल कललल डर हलु आतुंकल हडले के लयल डृतुडुदंड दयल गडल थल ।

## दया याचकल कडुुडु है?

### डरचलडु:

- दया याचकल ँक ँडुडलरकल अनुरुध है, यह अनुरुध कसलल ँसे वुडकुतु डलसल डृतुडुदंड यल कलरलवलस कल सडुल दी गई हु, दवलरल राषुडरपतु यल रलकुडडलल से दया कल डलंग करते हुु कडुुडु डलतल है, डेसल डल डलडलल हु ।
- सुडुकुत रलकुड अडेरकल, डुनलइतेड कगलडड, कनलडल ँर डलरत डेसे कडुु देशुु डें दया याचकल के वलरल कल डललन कडुुडु डलतल है ।
- सडुु कुु [डुलवन कल अधकलर](#) डुरलडुत है । इसे डलरतुड संवधलन के [अनुचछेद 21](#) के तहत [डुलकल अधकलर](#) के रूड डें डल वरुणतल कडुुडु डलतल गडल है ।

### नहलतल धलरणल: डलरत डें कषडडलडन शकुतलडुु के डुलछे धलरणल इस डलनुडतल डें नहलतल है कलकुडुु डल नुयायकल डुरणललल अचुक नहुलल है ँर संडलवतल नुयायकल तरुडुडुु कु सुधलर हेतु ँक तनुतुर कल आवशुडकतल है ।

- नुयायकल तरुडुडुु कल सुधलर: यह सुरकुषल उडलड नुयाय कल संडलवतल तरुडुडुु के वरुडुध सुधलरलतुडक उडलड के रूड डें कलरुड करतल है ।
  - उदलहरण के लयल, वरुष 2012 डें उचुचतड नुयायालय ँर उचुच नुयायालयुु के 14 नुयायलधलशुु ने डलरत के राषुडरपतु कुु अलग-अलग डुतुरुु डें वरुष 1990 के दशक के उन डलडलुु डर डुरकलश डललल, डलनलडें नुयायालयुु ने 15 वुडकुतुडुु कुु अनुचतल तरुडुु से डृतुडुदंड दयल थल, हलललकुु उनडें से दु वुडकुतुडुु कुु डलद डें डृतुडुदंड दयल गडल थल ।
- सलरुवडनकल वशुडवलस डनलर ररखनल: कषडडलडन शकुतल कल डुरुखु उदुदेशुड आडुरलधकल नुयाय वुडवसुथल डें सलडलनुड डन के वशुडवलस कुु डनलर ररखनल है ।

### संवधलनकल डलुुडल:

- डलरत डें संवधलनकल डलुुडे के अनुसलर, दया याचकल के लयल राषुडरपतु से अनुरुध करनल अंतडल संवधलनकल उडलड है । डड ँक दुषल कुु वधकल नुयायालय दवलरल सडुल सुनलई डलतल है तु दुषल डलरतुड संवधलन के [अनुचछेद 72](#) के तहत डलरत के राषुडरपतु कुु दया याचकल डुरसुतुत कर सकतल है ।
- इसल डुरकलर डलरतुड संवधलन के [अनुचछेद 161](#) के तहत रलकुडुु के [रलकुडडललुु](#) कुु कषडडलडन शकुतल डुरदलन कल गई है ।

अनुचछेद 72	अनुचछेद 161
<ul style="list-style-type: none"> <li>राषुडरपतु के डलस कसलल डल अडुरलध के लयल दुषल उहरलर गँकसलल डल वुडकुतु कल सडुल कुु कषडडल करनल, उसे रुकनल, वरलड डेने यल कड करनल यल सडुल कुु नललडतल करनल, डरहलर करनल कल शकुतल हुगल ।</li> <li>उन सडुु डलडलुु डें जहुु सडुल <a href="#">कुरत डलरशल</a> दवलरल दी गई हु;</li> <li>उन सडुु डलडलुु डें जहुु सडुल यल कसलल ँसे डलडले से संडधतल कसलल</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>इसके तहत कसलल रलकुड के <a href="#">रलकुडडलल</a> के डलस कसलल डलडले से संडधतल कसलल डल कलनुन के खलललड कसलल डल अडुरलध के लयल दुषल उहरलर गँ कसलल डल वुडकुतु कल सडुल कुु कषडडल, रलहत डेने, वरलड यल छूट डेने यल नललडतल करनल, डरहलर करनल यल लघुकरण शकुतल हुगल डलसलसे रलकुड कल शकुतल कल वसलतलर हुतल है ।</li> <li>वरुष 2021 डें सरुवुचुच नुयायालय ने कहुल कल कसलल रलकुड कल</li> </ul>

कानून के खिलाफ अपराध के लिये है, जसि पर संघ की कार्यकारी शक्ति का वसितार होता है;

- सभी मामलों में जहाँ मृत्युदंड दिया गया है।

राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा वाले कैदियों को क्षमा कर सकता है, लेकिन वह न्यूनतम 14 वर्ष कारावास की सज़ा काट चुका हो।

#### ▪ दया याचिका दायर करने की प्रक्रिया:

- दया याचिकाओं से नपिटने के लिये कोई वैधानिक लिखित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन व्यवहार में न्यायालय में सभी राहतों को समाप्त करने के बाद दोषी व्यक्ति या उसकी ओर से उसका संबंधी राष्ट्रपति को लिखित याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
- राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा याचिकाएँ प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें बाद में गृह मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों और सफ़ारिशों के लिये भेज दिया जाता है।

#### ▪ दया याचिका दायर करने का आधार:

- दया या क्षमादान दोषी सिद्ध व्यक्ति के **स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य**, उसकी पारिवारिक वित्तीय स्थितियों (क्या वह रोजी रोटी का एकमात्र अर्जक है या नहीं) के आधार पर दी जाती है।
  - **शत्रुघ्न चौहान [2014] भारत संघ (2014)** जैसे मामलों में उच्चतम न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 72 अथवा अनुच्छेद 161 के तहत दया मांगने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और यह कार्यपालिका के वक़ि या इच्छा पर निर्भर नहीं है।

#### ▪ न्यायिक समीक्षा:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों जैसे **कमिटराम बनाम भारत संघ, एगूरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और केहर सहि बनाम भारत संघ** में कहा है कि क्षमादान शक्ति के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा संभव है, लेकिन सीमा आधार पर।
- न्यायालय ने क्षमादान शक्ति की **न्यायिक समीक्षा** के लिये निम्नलिखित प्रावधान बताए हैं:
  - शक्तियों का प्रयोग बिना सोचे-समझे किया गया हो,
  - दुरभावनापूर्ण आशय से किया गया हो, या
  - प्रासंगिक सामग्री को विचार से पृथक रखा गया हो।

## दया याचिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नरिणय क्या हैं?

- **बचन सहि बनाम पंजाब राज्य:** वर्ष 1980 में, उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी स्थापित किये। न्यायालय ने कहा, "न्यायाधीशों को कभी भी खूनी (Bloodthirsty) नहीं होना चाहिये" और मृत्युदंड "दुर्लभतम मामलों को छोड़कर" नहीं दिया जाना चाहिये, जब वैकल्पिक उपाय निर्विवाद रूप से बंद हो गया हो, और सभी संभावित कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया गया हो।
  - तब से लेकर अब तक न्यायालय ने कई फैसलों में "मृत्युदंड की सज़ा मात्र अन्यान्यतम (The Rarest of The Rare)" मानक की पुष्टि की है।
- **मारू राम बनाम भारत संघ (1981):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा देने की शक्ति का प्रयोग मंत्रपरिषद की सलाह पर किया जाना चाहिये।
- **केहर सहि बनाम भारत संघ (1989):** सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के दायरे की वसितार पूर्वक जाँच की थी।
  - केहर सहि मामले में, न्यायालय ने कहा कि दोषी को दया याचिका पर मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है।
- **शत्रुघ्न चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014):** इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दया याचिकाओं पर नरिणय लेने में अत्यधिक वलिंब के कारण न्यायालय मौत की सज़ा को कम कर सकते हैं।
- **वधिआयोग की रिपोर्ट:** वर्ष 2015 में प्रकाशित 262वें वधिआयोग की रिपोर्ट में "आतंकवाद से संबंधित अपराधों और युद्ध छेड़ने के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिये" मौत की सज़ा को "पूर्ण रूप से समाप्त" करने की सफ़ारिश की गई थी।

## क्षमादान शक्ति के वभिन्न प्रकार क्या हैं?

क्षमादान शक्ति के प्रकार	वविरण	उदाहरण
क्षमा	यह कानून अपराधी को अपराध से पूरी तरह मुक्त कर देता है, तथा उसकी दोषसिद्धि और उससे संबंधित सभी दण्डों को समाप्त कर देता है।	राष्ट्रपति देशद्रोह के अनुचित आरोप में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा प्रदान करता है।
प्रतलिंबन	कठोर दण्ड के स्थान पर सामान्य दण्ड दिया जाता है।	राष्ट्रपति मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करता है।
वरिम/परिहार	सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन किये बगैर उसकी अवधि कम कर दी जाती है।	राज्यपाल दो वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा में से एक वर्ष की छूट प्रदान करता है।
दंडादेश का नलिंबन	किसी सज़ा के नषिपादन को अस्थायी रूप से स्थगित कर देता है, सामान्यतः थोड़े समय के लिये।	राष्ट्रपति किसी सज़ायाफ़ता कैदी को दया याचिका दायर करने के लिये समय देने हेतु छूट प्रदान करते हैं।
लघुकरण	यह वह राहत है, जो अधिक लम्बी अवधि के लिये होती है और प्रायः चकितिसीय कारणों से होती है।	राज्यपाल एक असाध्य रूप से बीमार कैदी को राहत प्रदान करता है ताकि वह अपने अंतिम दिनि घर पर बिता सके।

राष्ट्रपति	राज्यपाल
1. वह केन्द्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।	1. वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वह क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है।
2. वह सजा-ए-मौत को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है या बदल सकता है। एकमात्र उसे ही यह अधिकार है कि वह मृत्युदंड की सजा को माफ कर दे।	2. वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली भी हो, तो भी उसे राज्यपाल की बजाए राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी। लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है।
3. वह कोर्ट मार्शल (सैन्य अदालत) के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है।	3. उसे इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

//

## अन्य देशों के कानून क्या प्रावधान करते हैं?

- **अमेरिका:** अमेरिका का संवधान राष्ट्रपति को महाभियोग के मामलों के अतिरिक्त संघीय कानून के तहत अपराधों के लिये छूट या क्षमा प्रदान करने की समान शक्तियाँ प्रदान करता है। हालाँकि राज्य के कानून के उल्लंघन के मामलों में, यह शक्ति राज्य के संबंधित राज्यपाल को दी गई है।
- **UK:** UK में, संवधानिक प्रमुख, मंत्रसिंहास पर अपराधों के लिये क्षमा या राहत दे सकता है।
- **कनाडा:** आपराधिक रिकॉर्ड अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेट्रोल बोर्ड को ऐसी राहत देने का अधिकार है।

## नषिकर्ष

- आगे बढ़ने का मार्ग **संतुलन बनाने में नहि**ति है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले उपाय, जैसे याचिकाओं पर वचिार करने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश और नरिणय के लिये एक **नशिचति समय-सीमा, जनता का वशिवास बढ़ा** सकते हैं। इसके अतिरिक्त दया याचिका आवेदकों के लिये **कानूनी प्रतनिधित्व** सुनिशिचति करने से प्रकरिया मजबूत होगी।
- अंततः दया याचिका प्रणाली भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करती है। इसकी वशिषताओं को स्वीकार करके तथा इसकी कमियों को दूर करके, भारत इस **असाधारण शक्ति का अधकि मानवीय और प्रभावी उपयोग** सुनिशिचति कर सकता है।

### दृष्टिभेन्स प्रश्न:

**प्रश्न.** मृत्युदंड के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका के प्रयोग से संबंधित महत्त्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:**

**प्रश्न.** नमिनलखिति में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन अधरीपति करने के लिये रिपोर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नयुक्ति करना
3. राज्य वधिानमंडल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को, भारत के राष्ट्रपति के वचिार के लिये आरक्षति करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नियम बनाना

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न. राज्यपाल द्वारा वधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का वविचन कीजिये। वधायिका के समक्ष रखे बनिा राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की वविचना कीजिये। (2022)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mercy-petition-2>

